माननीय न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी और एच. एस. बेदी के समक्ष

ब्रू किशोर अरोड़ा,-याचिकाकर्ता।

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य,-उत्तरदाता।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या *10*।

26 नवंबर, *1993*।

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद*226/227*—पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, *1961*-एस. *27* और *30*-सेवा से बर्खास्तगी-चंडीगढ़ प्रशासन ने बैंक और नियुक्त प्रशासक को अपने हाथ में ले लिया-यह आरोप कि याचिकाकर्ता ने बैंक से बड़ी राशि से वंचित किया-मध्यस्थ को भेजे गए समाधान मामले पर-कार्रवाई ने चुनौती दी कि प्रशासक ने नियुक्ति की अधिकतम अवधि पूरी कर ली थी और कोई संदर्भ नहीं दिया जा सका था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी प्रस्ताव का पारित होना एक खाली औपचारिकता नहीं है ताकि किसी समिति के वैध प्रस्ताव की अनुपस्थिति में में,अधिनियम की धारा *55* या *56* के तहत कोई संदर्भ शुरू नहीं किया जा सके।इसलिए, हमारा विचार है कि *3* नवंबर, *1987* को प्रस्ताव की तारीख, प्रशासक अपनी नियुक्ति की अधिकतम अवधि पूरी करने के बाद, एक वैध प्रस्ताव पारित नहीं कर सका और इस तरह के प्रस्ताव की अनुपस्थिति में में, इसके तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही समान रूप से शून्य थी।

*(*पैरा *5)*

8. एस. खोजी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

हरभगवान सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और रूप चंद चौधरी, अधिवक्ता**,** प्रतिवादी की ओर से।

प्रतिवादी संख्या *1,2* और *6* के लिए ए. के. मित्तल और जी. एस. संधवालिया।

बारविंडर सिंह, प्रतिवादी संख्या *8* के लिए डी. वी. शर्मा अधिवक्ता के लिए अधिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी

1. प्रतिवादी संख्या *5* चंडीगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेडचंडीगढ़, पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, *1961 (*जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाता है*)*के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है, जैसा कि पंजाब विधानमंडल द्वारा *1* नवंबर, *1966* तक संशोधित किया गया था।याचिकाकर्ता बैंक में कनिष्ठ लेखाकार के रूप में कार्यरत था, जब उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था-आदेश के माध्यम से बृज किशोर अरोड़ा बनाम, इह प्रशासक, यू. टी.,चंडीगढ़ *417* और अन्य *(*न्यायमूर्ति आई. टी.एस. बेदी*)* दिनांक *9* नवंबर, *1984*।इस बीच, चूंकि बैंक के मामलों को उचित तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने बैंक की प्रबंध समिति को हटा दिया और *29* दिसंबर, *1981* को एक प्रशासक नियुक्त किया, जिन्होंने वास्तव में *1* जनवरी, *1982* को पदभार संभाला।चूंकि अधिनियम की धारा *27* के तहत एक प्रशासक के लिए अधिकतम कार्यकाल पांच साल तय किया गया था, इसलिए पंजीयक ने प्रशासक को हटा दिया, लेकिन इसके बजाय एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया-*9* सितंबर, *1987* के संलग्नक पी-*2* के अनुसार।*18* अप्रैल, *1988* के संलग्नक पी-*3* के तहत पर्यवेक्षक की अवधि को और बढ़ा दिया गया था।चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ बैंक को बहुत बड़ी राशि से वंचित करने के आरोप थे, इसलिए पर्यवेक्षक ने *3* नवंबर, *1987* को पारित प्रस्ताव के माध्यम से याचिका के संलग्नक पी-*6* में उनके खिलाफ एक विवाद

उठाया और इसे अधिनियम की धारा *55* और *56* के तहत निरीक्षक श्री लाभ सिंह के मध्यस्थता के लिए भेजा।*23* नवंबर, *1987* को याचिका के आदेश संलग्नक पी-*4* द्वारा सहकारी समितियाँ।इस संदर्भ के कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई जिसमें आदेश संलग्नक पी-*6* पर आक्षेप किया गया था,मुख्य रूप से इस आधार पर कि अधिनियम की धारा *27* के तहत किसी भी नाम से प्रशासक के बने रहने के लिए अधिकतम अवधि पांच साल और उससे अधिक नहीं होनी थी और यह अवधि *31* दिसंबर, *1986* को समाप्त होने के बाद, मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता था और संकल्प के अनुसार की गई कार्यवाही, अधिकार क्षेत्र के बिना थी।अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. एस. खोजी ने बलवंत सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य *(1)* पर भरोसा किया है, और *1989* की सिविल रिट याचिका संख्या *5700* में इस न्यायालय के एक गैर-रिपोर्ट किए गए फैसले पर *27* सितंबर, *1989* को निर्णय लिया गया *(*बलवंत सिंह और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासन*)* और रिट याचिका में संलग्नक पी-*9* के रूप में जोड़ा गया।श्री खोजी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक वैध प्रस्ताव का पारित होना अधिनियम की आदेश *55* और *56* के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी और यदि ऐसा प्रस्ताव क्रम में नहीं था, तो उसके अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।इस प्रस्तुति के लिए कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय और अन्य बनाम एस. के. घोष और अन्य पर भी भरोसा रखा गया है।अन्य *(2),* और उदित भगतराम नज़ूल सहकारी समिति, सोसायटी बनाम लीकल सिंह और अन्य *1980 (3)* मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ का निर्णय।

2. प्रतिवादी की ओर से दायर किए गए जवाबों में यह स्वीकार किया गया है कि एक प्रशासक इसके बाद पद पर नहीं रह सकता है

1. *1973* पी. एल. जे *427*
2. ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *217.*
3. *1980 (2)* आई. एल. आर. *112*अधिनियम की धारा *27* के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पांच साल की अवधि, लेकिन यह दावा किया गया है कि एक पर्यवेक्षक एक प्रशासक नहीं था और एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए मंजूरी की परिकल्पना राम सिंह और अन्य बनाम श्री एस. एल. कपूर,पंजीयक, सहकारी समितियों, पंजाब और अन्य *(4)* के मामले में इस अदालत के फैसले द्वारा की गई थी।प्रतिवादी ने इसके अलावा यह भी आग्रह किया है कि प्रशासक या समिति के पर्यवेक्षक द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई, जिसकी नियुक्ति को बाद में खराब माना गया था, अधिनियम की आदेश *29* द्वारा विधिवत मान्य माना गया था, और वास्तव में, मध्यस्थता का संदर्भ भी क्रम में था।

3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है द्वारा रिकॉर्ड द्वारा बार में उद्धृत निर्णयों को भी देखा है।

अधिनियम की धारा *27,* जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होती है, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः—

> *"*समिति का अधिवेतन।*—(1)* यदि, पंजीयक की राय में, किसी सहकारी समिति की समिति लगातार चूक करती है या इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों के पालन में लापरवाही करती है या कोई ऐसा कार्य करती है जो समिति या उसके सदस्यों के हित के लिए प्रतिकूल है, तो पंजीयक समिति को लिखित आदेश द्वारा अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, बताने का अवसर देने के बाद समिति को हटा सकता है*;* और
>
> 1. समिति के नए चुनाव का आदेश देना*;* या
> 2. एक या एक से अधिक ऐसे प्रशासकों की नियुक्ति करना, जिन्हें आदेश में निर्दिष्ट एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सोसाइटी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सोसाइटी के सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, जो अवधि समय-समय पर पंजीयक के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है, ताकि कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक न हो।

धारा के खाली पढ़ने से ही यह देखा जा सकता है कि कुल अवधि जिसके लिए एक समिति को हटा दिया जा सकता है और एक प्रशासक या किसी अन्य अधिकारी के नियंत्रण में रखा जा सकता है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, वह पांच साल से अधिक नहीं हो सकती है।शब्द *"*कि कुल अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं है।*"* स्पष्ट रूप से यह

स्पष्ट करें कि अधिनियम द्वारा एक जनादेश दिया गया है कि यह अवधि पवित्र थी और इसे किसी भी आधार पर बढ़ाया नहीं जा सकता था।अधिनियम की धारा *2.7* की उप-धारा *(4)* हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करती है क्योंकि यह प्रशासक पर उसके पद की अवधि समाप्त होने पर एक नई समिति के गठन की व्यवस्था करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है।इसलिए धारा *27* कोई अस्पष्टता स्वीकार नहीं करती है और यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि एक प्रशासक/पर्यवेक्षक जिसे पहली बार *1* जनवरी, *1982* से नियुक्त किया गया था, वह *31* दिसंबर, *1986* के बाद पद पर नहीं रह सकता है।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय उसके मामले का बहुत समर्थन करते हैं।राम सिंह के मामले *(ऊपर)* में, अदालत ने इसी तरह की स्थिति पर विचार करते हुए कहा कि अधिनियम के तहत पंजीयक या किसी अन्य पदाधिकारी के लिए इसके तहत निर्धारित अवधि को बढ़ाने का अधिकार नहीं है और इस जनादेश के आलोक में प्रशासक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया था कि एक समिति को अधिकतम कार्यकाल की समाप्ति से पहले शामिल किया जाए, जिसके दौरान प्रशासक पद संभाल सकता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यदि इस तरह का चुनाव आयोजित करना संभव नहीं था, या समिति के कार्य इतने खराब स्थिति में थे कि कोई चुनाव नहीं हो सकता था, तो अधिनियम की धारा *67* के तहत कार्य करने वाले पंजीयक को सोसायटी के परिसमापन का आदेश देना था।बलवंत सिंह के मामले *(उपरोक्त)* में, जो स्वयं प्रतिवादी बैंक से संबंधित एक निर्णय है, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः—

> *"*जैसा कि चंडीगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की प्रबंध समिति, सहकारी समितियों के पंजीयक, यू. टी., चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश संलग्नक पी-*3* से स्पष्ट है। चंडीगढ़ को *29* दिसंबर, *1981* को हटा दिया गया था और समय-समय पर *4* अगस्त, *1987* तक एक प्रशासक नियुक्त किया गया था और तब से पंजीयक ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-उप-पंजीयक सहकारी समितियों, यू. टी. चंडीगढ़ को अपने स्थान पर बैंक के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय और मामलों के लिए पर्यवेक्षक के रूप में अपनी शक्तियां सौंप दी हैं।इस स्थिति को हर बार जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली एक विराम-अंतराल व्यवस्था के रूप में अच्छी हो सकती है, लेकिन इस तरह के मामलों में एक परमानेंसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।कानून केवल समिति की अनुपस्थिति में में प्रशासक पर अभिनिर्धारित करता है और वह भी केवल अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए।पर्यवेक्षक की नियुक्ति पंजीयक-सहकारी समितियों की अवधारणा और अधिकार क्षेत्र के लिए पूरी तरह से अलग है।इस प्रकार यह उनके लिए अनिवार्य था कि वे वर्ष *1987* में ही चुनाव लड़ें जब एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था।जो भी हो, अब हम पंजीयक सहकारी समितियों, यू. टी., चंडीगढ़ को चुनाव कार्यक्रम तैयार करने और घोषित करने का निर्देश देते हैं।कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम अवधि।उन्हें आज से एक महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
>
> इन निर्देशों के साथ, हम प्रस्ताव स्तर पर रिट याचिका की अनुमति देते हैं।*"*

4. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जीवित वर्षों से परे की अवधि पूरी तरह से अनधिकृत थी।राम सिंह के मामले *(ऊपर)* पर प्रतिवादी का भरोसा गलत है और वे अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं।इस मामले में भी, न्यायालय ने पाया कि प्रशासक को अधिकतम अवधि से अधिक बनाए रखना अवैध था, फिर भी नए चुनाव होने तक कुछ व्यवस्था करनी पड़ी और इस स्थिति में ही न्यायालय ने स्वयं निर्देश दिया कि चुनाव होने तक समाज के दिन-प्रतिदिन के कामकाज का प्रशासन करने के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के कहने पर की गई थी, लेकिन अधिनियम के तहत अधिकारी निर्णय का समर्थन नहीं ले सकते हैं और उसके तहत निर्धारित अवधि से परे पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री खोजी भी सही प्रतीत होते हैं जब वे प्रस्तुत करते हैं कि एक प्रस्ताव का पारित होना एक खाली औपचारिकता नहीं है ताकि एक समिति के वैध प्रस्ताव की अनुपस्थिति में में, अधिनियम की धारा *55* या *56* के तहत कोई संदर्भ शुरू नहीं किया जा सके।उनके द्वारा उद्धृत दो मामले उनके मामले का समर्थन करते हैं।कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय के मामले *(ऊपर)* में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः—

> *"*हमारे सामने उद्धृत मामलों में निर्धारित सख्त नियम का कारण यह है कि हालांकि विश्वविद्यालय जैसा निगमित निकाय एक कानूनी इकाई है, लेकिन न तो उसका कोई जीवित दिमाग है और न ही

उसकी आवाज है।यह केवल एक औपचारिक संकल्प द्वारा औपचारिक तरीके से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है और इसलिए केवल अपनी निगमित क्षमता में उचित रूप से विचार किए गए, किए गए और निर्धारित तरीके से विधिवत दर्ज किए गए संकल्प द्वारा कार्य कर सकता है।एन अपने संविधान द्वारा।यदि इसके नियमों में इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में इस तरह के प्रस्तावों को पेश करने और पारित करने की आवश्यकता होती है, तो बैठक में भाग लेने के हकदार निकाय के प्रत्येक सदस्य को नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि वह उपस्थित हो सके और अपने विचार व्यक्त कर सके।अलग से दी गई व्यक्तिगत सहमति को बैठक की सहमति के बराबर नहीं माना जा सकता है क्योंकि निगमित निकाय उन व्यक्तियों से अलग है जिनमें से यह बना है।इसलिए, 'इन परिस्थितियों में' किसी एक सदस्य को भी उचित सूचना देने में चूक बैठक को अमान्य कर देगी।उन प्रस्तावों को अमान्य कर देगी जिन्हें *'i'* के रूप में पारित किया गया था।लेकिन यह तभी होता है जब इस तरह की लचीली कठोरता को शामिल करने वाले संविधान द्वारा लागू किया जाता है।*''*

उच्च न्यायालय का निर्णय बहुत हद तक उसी प्रभाव का है और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सहकारी समिति एक निकाय निगमित है जिसकी उत्तराधिकार और अधिनियम की धारा *30* के तहत परिकल्पित एक सामान्य मुहर है, अपने अध्यक्ष या अधिकारियों को अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करने वाला एक प्रस्ताव पारित करके कार्य करना है और ऐसे किसी भी प्रस्ताव की अनुपस्थिति में में, किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कोई वैध अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है।इसलिए, हमारा विचार है कि *3* नवंबर, *1987* को प्रस्ताव संलग्नक पी*6* की तारीख, प्रशासक अपनी नियुक्ति की अधिकतम अवधि पूरी करने के बाद, एक वैध प्रस्ताव पारित नहीं कर सका और इस तरह के प्रस्ताव की अनुपस्थिति में में, इसके तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही समान रूप से शून्य थी।

4. इस स्थिति का सामना करते हुए, संवाददाताओं ने अधिनियम की धारा *29* के तहत आश्रय लिया है, जो निम्नानुसार हैः—

> *''*सहकारी समिति या किसी समिति या किसी अधिकारी का कोई भी कार्य केवल प्रक्रिया में या किसी अधिकारी के गठन या चुनाव में किसी दोष के होने के कारण या इस आधार पर कि ऐसे अधिकारी को उसकी नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया गया था, अमान्य नहीं माना जाएगा।*''*

इस धारा को नंगे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि सत्यापन केवल किसी समिति या उसके किसी अधिकारी के ऐसे कार्यों तक ही सीमित है जो *(i)* केवल अपनाई गई प्रक्रिया में किसी दोष के होने के कारण *(i)* समिति के गठन में या *(iii)* किसी अधिकारी की नियुक्ति या चुनाव में इस आधार पर दूषित माने जाते हैं कि ऐसे अधिकारी को उनकी नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया गया था।उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि यह धारा विशेष रूप से समिति या उसके कर्मचारियों द्वारा की गई कार्रवाई को मान्य करने की बात करती है, लेकिन किसी भी तरह की कल्पना से, पर्यवेक्षक द्वारा की गई कार्रवाई को मान्य नहीं कर सकती है, जिसका पद पर बने रहना ही शून्य था, क्योंकि यह अधिनियम के अधिदेश के विपरीत है।ऐसी स्थिति से निपटने के दौरान, सिंह के मामले *(*उपरोक्त*)* बाम में इस न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान केवल एक ऐसे अधिकारी के मामले में लागू होता है जिसकी नियुक्ति या तो दोषपूर्ण थी या जिसे शुरू में एक बिंदु के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन यह उस मध्यस्थ के मामले में लागू नहीं किया जा सकता था जिसकी नियुक्ति अधिनियम के तहत निर्धारित पांच वर्षों की अवधि से अधिक हो गई थी क्योंकि उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, ऐसा अधिकारी कार्यात्मक अधिकारी बन जाएगा और

इस प्रकार, किसी समाज के मामलों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था।

4. *31* 'ऊपर' दर्ज किए गए कारणों के लिए, इस प्रस्तुत याचिका की अनुमति है, संकल्प संलग्नक पी-*6* और उसके बाद इसके आधार पर की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन जिस समिति के बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में चुनी गई है, उसे कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ नए सिरे से आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझसके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिकउद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्तरहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा